फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर

झूमरराम व अन्य बनाम खुशालाराम इत्यादि किस्म मुकदमा....225 आर.टी.एक्ट न.142 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.08.2023	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट्स श्री रोशनलाल एवं केवियटर रेस्पोडेंट संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार उपस्थित। उपस्थित उभय पक्ष के अधिवक्तागण के निवेदन पर बहस सुनी गई। अपीलांट्स के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय आदेश जारी किये जाने के पश्चात विधिक प्रावधानों की पालना किये बगैर ही आदेश पारित किया है जो आदेश 39 सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर दिया गया है। तत्पश्चात भी आज दिन तक प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 39 सीपीसी के नियमों की पालना किये बगैर ही पत्रावली में आगामी पेशीयां दी जा रही है। इस कारण अपीलार्थी को यह अपील प्रस्तुत करनी पड़ी। अपीलार्थीगण खातेदार काश्तकार है तथा खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है तथा न ही रेकर्डेड खातेदार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। विवादित भूमि की जमाबंदी में सभी खातेदारों के हिस्से जमाबंदी में दर्ज है तथा हिस्से अनुसार ही मौके पर काबिज है। अपीलार्थीगण द्वारा आपस में भूमि हकतर्क की गई है, जिसके तहत अपीलार्थी संख्या दो द्वारा अपने हिस्से का 1/5 हिस्सा अपीलार्थी संख्या एक के पक्ष में हकतर्क किया गया है जो उपपंजीयक कार्यालय औसियां में दिनांक 05.05.2023 को पंजीबद्ध सुदा है। रेस्पोडेंट्स मात्र अपीलांट के उक्त हकतर्क नामा की पालना को रोकने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में वाद व स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया है जो स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत नहीं किया गया होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को सुने बिना एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। अपीलार्थीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया। विचारण न्यायालय द्वारा सुनवाई नहीं किये जाने पर मजबूरन हस्तगत अपील पेश करनी पड़ी। अपीलांट्स द्वारा जानकारी से अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की है। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार फरमायी जाकर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08 मई 2023 को निरस्त किया जावे। एवं प्रार्थना पत्र पर दोनो पक्षकारों की उपस्थिति में सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश फरमावे।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का अंतिम निस्तारण होना शेष है। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत होने से कानूनन पोषणीय नहीं है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदारी घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वाद के साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन अंतरिम आदेश पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत हस्तगत अपील विचारण न्यायालय के अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत है जो कानूनन पोषणीय नहीं है। अपीलाट्स के पास विचारण न्यायालय के समक्ष चाराजोही कर अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्राप्त है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश अंतरिम आदेशिका है, के विरूद्ध किसी प्रकार का आदेश जारी किया जाना न्यायालय हाजा की राय में उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट इस आशय से निर्णित की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दो माह की अवधि में विधिसम्मत निस्तारण करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

25.8.2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर